SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, we all associate...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please sit down, I request you. This is a natural calamity and an unfortunate incident that has taken place. The whole House will associate with what Mr. Hiphei has said, and I call upon the Government to look into the immediate requirements of the victims and find out the causes. Immediate relief should be rushed and if necessary, even rescue team as required under the local situation, should be sent by the Government. I hope the Government will take note of it and act immediately.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: In addition, I suggest that a Central team of officials should immediate go and visit the place to assess the damage...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Yes, whatever is required.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I hope the entire House will agree with me. Let there be a high-power delegation of officers who should visit the place and assess the damage and find out in what way the Central Government can help them because it is inclement whether and the situation is very bad there. Therefore, the Government send a delegation.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the Mandal Commission recommendations regarding reservation

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): Sir, The Election Manifesto of Congress-I Party for the General Election 1991 contained a commitment that in implementing special measures for the Socially and Educationally Backward Classes (SEBCs) in regard to reservation, preference would be given to the poorer sections among the SEBCs, and if candidates are not available from the poorer sections, the benefit would go to other members within the SEBCs.

In view of the importance of this issue, consultations were held with the political parties. In the light of the consensus evolved through consultation with the political parties, the OM of 13-8-1990 providing for 27 per cent reservation in favour of the SEBCs against vacancies in civil posts and services under the Government of India to be filled through direct recruitment was amended vide OM dated 25-9-1991, which provided for the following:

(i) Within the 27 per cent of the vacancies in civil posts and services under the Government of India reserved for SEBCs, preference shall be given to candidates belonging to the poorer sections of the SEBCs. In case sufficient number of such candidates are not available, unfilled vacancies shall be filled by the other SEBC candidates.

(ii) 10 per cent of the vacancies in civil posts and services under the Government of India shall be reserved for other economically backward sections of the people who are not covered by any of the existing schemes of reservation.

(iii) The criteria for determining the poorer sections of the SEBCs or the other economically backward sections of the people who are not covered by any of the existing schemes of reservations are being issued separately.

The 5-Judge Constitution Bench hearing the writ petitions field against the OM of 13-8-1990 as the subsequent OM of 25-9-91, desired to know as to how and when the Government would be able to give the list of economic criteria as referred to in the OM of 25-9-1991. The Court was informed that government would

[Shri Sita Ram Kasri]

take a decision on the economic criteria after consulting the State Governments and political parties and after evolving, if possible, national consensus on the subject.

In view of the importance of the issues involved, the Supreme Court referred the writ petitions to a 9-Judge Constitution Bench headed by the Chief Justice of India.

The 9-Judge Constitution Bench was informed about the steps the Government had taken to evolve a national consensus on the question of economic criteria. It was further informed that on this important subject, it is desirable to proceed with caution and after due deliberation, so as to promote social justice in an atmosphere of social harmony and peace.

The 9-Judge Constitution Bench has already completed hearing of the case and its judgement is awaited.

In the meanwhile, the Government have completed the consultations with the State Governments and UT Administrations. A conference of Chief Ministers|Governors|Lt. Governors was held in New Delhi on April 10, 1992 to discuss this issue.

The technical issues relating to the determination of economic criteria arising out of the deliberations of the conference of Chief Ministers|Governors|Lt. Governors have been examined.

It is now proposed to consult political parties at the national level in order to seek their views on the subject.

The 9-Judge Constitution Bench has also heard arguments on the question of the constitutionality of the economic criteria. The benefit of the views of the Supreme Court may also be available by that time.

Government would, as soon as possible, take a decision on the economic criteria, in accordance with the judgement of the Supreme Court and taking into account the laws of the political parties and State Governmen

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI HANUMANTHAPPA): Now, M Satya Prakash Malaviya.

SHRI S. JAIPAL REDDY: (Andh Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, do not know whether it would possible to complete the clarificatio today. Can we not take it up tom row? It is a lengthy statement. All us have to study.

SHRI N. E. BALARAM (Kerala We can take it up tomorrow.

SOME HON. MEMBERS: No, toda

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI HANUMANTHAPPA): Let us sta now.

SHRI N. E. BALARAM: It can taken up tomorrow because...

SHRI S. JAIPAL REDDY: He h read out this important statement a nearly vacant House. I think, tl matter being of paramount impo ance, you can put it off till tomorro

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI HANUMANTHAPPA): Mr. Reddy, tually, it is listed for 5 O' clock. It said here that it would be taken at 5 O'clock. If the benches are em ty, that shows the interest of t Members.

SHRI S. JAIPAL REDDY: should take it up tomorrow soon af Question Hour so that the issue cou be discussed more thoroughly.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI HANUMANTHAPPA): Let us st today.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Or, w don't we go in for a short durati discussion?

SHRI S. S. AHLUWALIA (Biha If you want to have a discussion,

can discuss it separately. But we should be allowed to seek clarifications now.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): If Mr. Reddy wants to have a discussion, it is a different matter.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Tomorrow, we have the Calling-Attention on the performance of the Indian contingent at the Barcelona Olympic and this may not come up. Therefore, let us start now. Mr. Malaviya please.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): Sir, what about the suggestion made by Mr. Jaipal Reddy? Are you agreeing with it?

SHRI S. JAIPAL REDDY: Why don't we have a short duration discussion? Mr. Vice-Chairman, you will appreciate...

SHRI S. S. AHLUWALIA: Why do you want to snatch away the right of Members to seek clarifications? If you want to discuss it, we can discuss it later on.

SHRI AJIT P. K. JOGI (Madhya Pradesh): How come Mr. Reddy is not ready?

SHRI S. JAIPAL REDDY: I am very much ready, dear. My point is, the hon. Minister has read out a ten-point statement which, in reality, amounts to zero. Therefore, it needs a full-fledged discussion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): If it amounts to zero, no discussion is needed at all.

SHRI S. JAIPAL REDDY: In my view, it amounts to zero.

SHRI M. M. JACOB: Sir, Mr. Reddy is confusing the two issues. The two issues are being mixed up. One is, the clarifications on the statement made by the hon. Minister. The other thing is, a discussion on the issue. (Interruptions) If Mr. Reddy wants to have a d iscussion, we are ready for a discussion any time. (Interruptions) He can raise it in the Business Advisory Committee.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): You can ask for a discussion under the relevant procedure. (Interruptions) Even after the clarifications, you have the right to raise a discussion.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उपसभाध्यक्ष जी, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से लोगों को आरक्षण मिले और इस तरह का कोई विधान हो इसमें सभी की रुचि है । इसीलिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 340 और 15 और 16.4 धाराओं का प्रावधान किया था और उस समय भी इस बात की चर्चा हुई थी कि इस के लिए केन्द्र सरकार को उपाय निकालना पड़ेगा और समय समय पर पिछड़े लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आयोग की सिफारिश की । सीताराम जी केसरी ने कांग्रेस के मैनिफैस्टो की चर्चा की । इसलिए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 1953 में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना था जिसने 1855 में सरकार को अपना प्रतिवेदन दिया था । श्री जवाहरलाल जी देश के प्रधान मंत्री थे लेकिन 1956 में किन्हीं कारणों से काका कालेलकर कमेटी की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया । लेकिन उसके बाद जब जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी उसने अपने घोषणापत्र में इस बात का वायदा किया था कि यदि वह सत्ता में आती है तो पिछड़े वर्गों के लिए काका कालेलकर समिति की सिफारिशों को लागू करेगी या दूसरा आयोग बैठाएगी । जनता पार्टी शासन में आई और सन् 1979 में श्री बी०पी० मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग बैठाया और 31 दिसंबर 1980 को उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी सरकार के पास तब तक फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार हो गई । लेकिन बहुत मांग के बाद, सत्याग्रह करने के बाद, जेल जाने के बाद, उस वक्त

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

बहुत से विरोधी पक्ष के लोग जेल गए आन्दोलन किया कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करो, तब बड़ी मुश्किल से 30 अप्रेल, 1982 को वह रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी । लेकिन 1982 से लेकर 1990 तक उस रिपोर्ट को लागू करने का काम नहीं किया । इसलिए मेरा यह कहना है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की इच्छा की शक्ति कमी है । और आज जो इस वक्तव्य में चर्चा की गई है कि हम जो राजनीतिक पार्टीज हैं उनसे सलाह मशविरा करेंगे और उनका जो इकानामिक क्राइटेरिया है उस संबंध में विचार विमर्श करेंगे । तो मेरे इस संबंध में केवल तीन या चार प्रश्न हैं ।

एक तो यह कि जो मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे विचार विमर्श करेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह विचार विमर्श की प्रक्रिया कब शुरू करने वाले हैं ?

दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट की एक कांस्टीट्यूशन बैंच बनी हुई हैं, उसके पास सुपुर्द किया है, उसका फैसला नहीं हुआ है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को कोई आवेदन पत्र दिया जाएगा कि फैसला करने में सुप्रीम कोर्ट जल्दी करे, अपना फैसला जल्दी सुना दे, उसको ऐक्सपी डाइट करे क्योंकि काफी दिनों से यह मामला विचाराधीन है ।

तीसरे, इकानामिक क्राइटेरिया के संबंध में पिछली सरकार ने कुछ फैसला लिया था । उस फैसले से आप सहमत है या नहीं, इस बारे में मैं जानना चाहता हूं ।

दो प्रश्न मैं अपने मित्र जयपाल रेड्डी जी से पूछना चाहता हूं . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : उनसे नहीं, मिनिस्टर से पूछिए । . . .

श्री सत्यप्रकाश मालवीय : मिनिस्टर से पूछ लेता हूं । क्या मंत्री जी को जानकारी है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को बिहार की सरकार ने और उड़ीसा की सरकार ने लागू किया है ? मंडल आयोग की सिफारिशों को बिहार की सरकार ने लागू किया हैं ? और क्या जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री थे तो उस समय उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था ?

आखिरी मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, उसी तरीके से क्या केन्द्र सरकार का इरादा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का है ?

यही मेरे सवाल है जिनका उत्तर माननीय मंत्री जी देने का कृपा करें ।

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Sir, the matter has been pending for many many years. Now it is years since the Mandal Commission Report was submitted to the Government. Even after this Government came into power, that is the Narasimha Rao Government, the matter has been pending. Now in this statement itself the Government has admitted that in August 1991 some consensus was arrived at about the economic criteria, but when the case was referred to the Supreme Court, even the Supreme Court wanted to know the details of the economic criteria, whether the Government had decided about that. It is most unfortunate that for the last one year the Government could not determine the economic criteria. They said that consultations at different quarters were necessary with the State Governments and with the political parties. Now they say that consultation with the State consultation with the State Governments has been completed but not with the political parties, and the Supreme Court judgement is awaited. I strongly feel that this Government lacks the political will to implement the Mandal Commission report. As we had arrived at a consensus, the points of consenus have to be implemented. But the Government lacks the political will to do it. That is why they

have spent one full year to complete the process of consultation. Now I would like to know from the hon. Minister whether they really want to implement it, because we had arrived at a consensus one year back. The Supreme Court also wanted to know about the economic criteria. What are the impediments before you that consultation with the different political parties could not be completed till now while the consultation with the State Governments was completed? What have you done for one whole year? That I would like to know from the Government.

Here he says that they want to consult the political parties. When do they want to consult the political parties? While they have completed consultation with the State Governments, when do they want to consult the political parties so that the Supreme Court judgement can come and the issues can be clinchted and the report can be implemented? So, I would like to know from the Government as to what specific steps they are taking to complete the consultation so that the Supreme Court judgment can be available and the report can be implemented so that the benifit that we want to provide to the socially and educationally backward classes can be provided to them without delay, because justice delayed is justice denied.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक बहुत ही विस्तृत वक्तव्य दिया है इस संबंध में। हमारे संविधान में प्रिएम्बल में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात कही गई है। उसी आधार पर संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय की दिशा में उस समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रावधान भी किए। 15(4) भी आया। 15(4) के पहले 15(3) तक ही था। लेकिन मद्रास में एक मामला आया शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के बारे में। जब वहां की सरकार ने एडमिशन में भी आरक्षण की व्यवस्था की तो कुछ लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि आर्टीकल 29 के खिलाफ है। इसके पश्चात् सन् 1951 में पहला अमेंडमेंट, संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था जो उस समय देश के प्रधान मंत्री थे। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि जबतक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी तबतक सामाजिक न्याय की दिशा में जो संविधान की मंशा है और भारतीय संविधान निर्माताओं की मंशा है . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : सवाल पर आइए।

श्री राम नरेश यादव : 3 के बाद 4 रखा गया। विशेष प्रावधान रखने के लिए, उनके उत्थान के लिए आर्टीकल 16(4) भी है और 349 जसा कि अभी मालवीय जी कह रहे थे, कमीशन बैठाया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि उस दिशा में बहुत कुछ पिछले दिनों जिस प्रकार से बातें हुई और जैसा हमारे माननीय सदस्य जयपाल रेड्डी जी कह रहे थे कि इस पर बहस होनी चाहिए तो मैं कहना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी, यह सरकार में थे, नेशनल फ्रंट की सरकार थी तो इन लोगों का इरादा लागू करने का नहीं था। एक राजनीतिक स्टंट के आधार पर उसको लागू करके, देश में यह बताना चाहते थे कि हम तो सामाजिक न्याय की दिशा में कदम उठाना चाहते हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अगर लागू करने का इरादा था तो निश्चितरूप से आज भी वह प्रश्न स्पष्ट है। 13 अगस्त को जिसके आधार पर सदन के समक्ष प्रधान मंत्री जी ने और समाज कल्याण मंत्री जी ने उस समय के राम विलास पासवान ने जो वक्तव्य रखा था जिसमें यह कहा था . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : इस वक्तव्य पर पूछिए।

श्री राम नरेश यादव : मैं बता रहा हूं यह बहुत ही जरूरी बात है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कामन है और राज्य सरकारों जो देखीं है आरक्षण की व्यवस्था दोनों में जो समान रूप से लागू होगा उसी आधार पर कहना चाहता

[श्री राम नरेश यादव]

हूं कि जो 13 अगस्त को वक्तव्य दिया था ....। उसके आधार पर 25 सितम्बर, 1991 को एक दूसरा संशोधन किया गया । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि 13 अगस्त 1990 को यह व्यवस्था की गई थी और यह लिखा गया था कि सच ए लिस्ट इज बिइंग इसूज सेपरेटली, क्या वह लिस्ट जारी की गई थी या नहीं ? क्या वह लिस्ट राज्य सरकारों और मंडल कमीशन के आधार पर जारी की गई थी या नहीं ? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि आज भी कुछ लोग जो उधर के पक्ष में बैठे हुए हैं, यह नारा लगाते हैं कि हमने जो इसको लागू कर दिया था , लेकिन क्या सच ए लिस्ट इज बिइंग इसूड सेपरेटली के आधार पर उस समय की सरकार ने कोई सूची जारी की थी या नहीं की थी और अगर नहीं की थी तो यह कहना चाहता हूं कि आज इनको इस तरह की बात कहने का अब अधिकार नहीं है कि हमने तो इसको लागू कर दिया था । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने उस आधार पर कोई सूची तैयार की है और जिन राज्य सरकारों ने इसको लागू नहीं किया है, क्या उनको निर्देश भेजा है कि आप भी इस तरह की सूची तैयार करके केंद्रीय सरकार को दें ताकि केंद्रीय सरकार उस आधार पर कोई सूची तैयार कर सके ताकि उस आधार पर यह काम हो सके और जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सके ? दूसरी बात यह है कि आपने इकनोमिक क्राइटेरिया की बात की है । यह बात सही है कि कोई इकनोमिक क्राइटेरिया तय नहीं हो सका है और इसको तय करना जरूरी है । आपने चीफ मिनिटर्स की मीटिंग बुलाई, गवर्नरों की मिटिंग बुलाई और और दूसरे लोगों से भी जानकारी लेने की कोशिश की । हमारी सरकार ने यह भी कहा है, कांग्रेस की सरकार ने कहा है कि हममें सामाजिक सौहाद्र होना चाहिए, सामाजिक सौहाद्र बिगड़ने न पाए, वह टूटने न पाए, जब कि पिछली सरकार ने उसको तोडने की कोशिश की थी । उस आधार पर जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं हैं उनके लिए भी आरक्षण की बात कही है, इन लोगों का आर्थिक क्राइटेरिया कब तक तैयार हो जाएगी, यह भी बताने की कृपा की जाए। इसके बाद साथ एक जबर्दस्त बात यह है कि जब हम आरक्षण की बात कह रहे हैं तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच के सामने विचाराधीन है । कोर्ट में इस मामले को लम्बा समय लग रहा है, इस बात से लोगों में बहुत असतोष उत्पन्न हो रहा है । इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट से इस बात की अपील करेगी अपने वकील के माध्यम से कि इस मामले का निपटारा जल्दी से जल्दी किया जाय ताकि उसके आधार पर कोई निर्णय ले सकें ?

आखिरी मेरा सावाल यह है कि जब आप नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करने जा रहे हैं तो उसके आधार पर उच्च न्यायालय का एक जजमेंट भी हुआ जिस जजमेंट के आधार पर 15(4) में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का जो प्रावधान है उसे उत्तर प्रदेश में इस आधार पर गैर-कानूनी कर दिया है कि यह उचित नहीं है । यह बात वैज्ञानिको के मामल में है, टेकिनकल मामलों में है । मैं यह कहना चाहता हूं कि 15(4) में जो इसकी व्यवस्था की गई थी वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भावनाओं के अनुसार संशोधन करके की गई थी । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि यह संस्कार हाईकोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखकर क्या इस बात पर विचार करेगी कि यह जो व्यवस्था चल रही है वह व्यवस्था चलती रहे और शैक्षणिक संस्थाओं में सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको जारी रखा जाएगा ?

SHRI N. E. BALARAM: All of us know the history of the Mandal Commission Report. It was kept in cold-storage for years together. Ultimately, in a different political dispensation, it came to light. Not only it came to light, it got recognition. Now again this particular report is pending before the Supreme Court. Over the last

year the Government was not able to take a decsion on this most vital question. Now, the view of the Government is that they want some economic criteria to decide the question of reservations. They are very firm on that question. In whichever language they put it, their idea is to have economic criteria to decide the question of reservation. As far as I am concerned, I want to make it very clear that I am totally against fixing any economic criteria on the question of reservation. I know that my view and my party's view will not be acceptable to the Government or to many of my friends sitting in this House. In this particular context, the Gov ernment was telling us that they can implement it on the basis of certain economic criteria. Now, the question is what is the formula for fixing up this economic criteria? For the last one year they were not able to formulate their own idea. It is a very unfortunate development. They were talking about the consultations with Chief Ministers and Governors; they were talking about the resolution that they had passed long back, but the matter is still there. It has not moved an inch. It is a very unfortunate situation. If they are earnest in implementing anything, if they are earnest in implementing their own decision, why are they again thinking about a long process? I may or may not be agreeable to it. That is a different thing. I would like to ask the hon. Minister if they have given their views to the Supreme Court so far. I know the Supreme Court has debated the constitutionality of that particular problem. That is an entirely different thing. They will decide whether to have an economic criteria in fixing reservations for backward classes is constitutionally right or wrong. That is an entirely different problem. That they will decide. But when the Government is going to submit their own views about the economic criteria, did they give any indication to the Supreme Court about the formula? That is my first question.

Secondly, they said they had several consultations. Can they give us a gist of the result of those consultations? I think there is nothing wrong in it. There is nothing secret in it. This thing again has to go to the people. The people can debate about your own thinking, your own formula of economic criteria. There is no use of just talking about poorest sections. What is the meaning of the poorest sections and backward classes? It is nothing more than the concept of Maya of Shankara. What is this poorest sections or backward classes? Tell me please. You are not able to find out a formula for the last one year. So, I charge that the Government is not earnest in implementing the reservations. So, if you are earnest, whatever way you think, you should come out. I may not agree to that But why could you not put it to the Supreme Court? Why don't you put it before the entire people? If you feel it is a question which requires a discussion, a debate by the people, cooperation from the people, I am not against it. So I would like to know the result of your consultations with the various people. That is number two.

I would like to know why have you delayed the consultation process with the various political parties? What was the reason for that? You know the opinions of the various political parties. The opinions of the various political parties are very clear. I don't think any political party is holding their opinion as a secret one except the Congress party. My party's opinion is very well-known to you. The opinion of Mr. Reddy's party is very well-known to you. Other parties opinions are known to you. If you want to hold again a conference, hold it. But when are you going to hold that conference? When are you going to submit your statement on this particular question of economic criteria to the Supreme Court? Have you got any time-table? Are you going to put it off endlessly? I am very sorry to say that it is another way of

[N. E. Balaram]

putting it into cold storage. This is a different way of putting the same thing into cold storage. I hope the Minister will give us some indication of his own mind and of his own Government's mind to this House.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था भारत के संविधान की धारा 340 में सन्निहित है । इसके अनुपालन में लगभग 39 वर्ष पहले पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त हुआ था और 37 वर्ष पहले उसने अपनी आस्था दी दी । इसी श्रंखला में 13 वर्ष पहले यह मंडल आयोग नियुक्त हुआ था और 12 वर्ष पहले उसने अपनी आस्था दी थी । मैंने इन सब आख्याओं को पढा है । आर्थिक आधार भी उन सब आस्थाओं में पूर्ण रूप से सन्निहित है । 1977 में जनता पार्टी के नाम पर कई देशों में सरकारें आई थी वहां पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया । बिहार में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर ने 20 प्रतिशत आररक्ष पिछड़े वर्गों को दिया और क्राइटरिया यह रखा कि जो ज्यादा गरीब है श्रणी ए के है उनको 12 प्रतिशत और उनके बाद जो पिछड़े श्रेणी 'बी० उनको 8 प्रतिशत । माननीय श्री राम नरेश यादव जी बैठे हैं । जब यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो 15 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्गों को के लिए किया गया था । माननीय सदस्य जब तथ्यों को छिपाते हैं तो मुझे तकलीफ होती है । जहां मुलायम सिंह ने 27 प्रतिशत की घोषणा की, मालवीय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कल्याण सिंह जी के नतृत्व में चल रही है उसने भी उस आरक्षण की 27 प्रतिशत की घोषणा की और घोषणानहीं की बर्कि उसको क्रियान्वित भी करा रही है । कांग्रेस के लोगों ने जो अपनी डींग मारी कि उन्होंने पिछडे वर्गों को आरक्षण दिया सही नहीं है । (व्यवधान) मुझे कह लेने दीजिए (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव : क्रियान्वित नहीं करा रही है ।

श्री संघ प्रिय गौतम : मुझे कह लेने दीजिए । आपने 45 सालों से क्रियान्वित नहीं कराया अनुसूचित जातियों का आरक्षण एक भी क्षेत्र में पूरा नहीं है । यह आपकी उदासीनता है । मैं अभी जबानी आंकडे दे दूंगा सब क्षेत्रों के । तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस ते 1991 में चुनाव घोषणा पत्र में लिखा कि हम पिछड़े वर्गों को आरक्षण देंगे । आपने तो 1991 में लिखा लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में घोषणा पत्र में लिखा । 1985 में कार्यकारिणी ने स्वीकृत किया और 1981 में कोचीन में निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण यथावत जारी रहें । पिछड़ी जातियों को आरक्षण मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर मिले लेकिन प्राथमिकता अति गरीबों को दी जाए और तीसरी श्रेणी चूंकि पिछडे पन का आधार गरीबी भी है इसलिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के अलावा जो अन्य जातियों में गरीब है उनको भी आरक्षण मिले । जिसकी नकल आपने की है भा.ज.पा. से । आपका कोई घोषणा पत्र में मैं पहले उल्लेख नहीं था । (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : आप सवाल पर आइये गौतम जी ।

श्री संघ प्रिय गौतम : तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं...

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) आप सवाल पर आइए ।

श्री संघ प्रिय गौतम : सवाल पूछ रहा हूं । (*Interruptions*). Please do not disturb me. I never disturbed you. मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जब सारे क्राइटेरिया आपके पास है और दो साल पहले सारे देश में आग लगी जिसके लिए आज आप कह रहें हैं कि सारे देश में सौहार्द का वातावरण बिगड़ा और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया । तो आज तक आपने यह क्राइटेरिया क्यों नहीं पेश किया ।

10 अप्रैल, 1992 को आपने मुख्य मंत्रियों राज्यपालों और उपराज्यपालों की बैठक की और उसमें आपने कहा कि फारमूला निकल आया है । तो फिर किस नकहा कि आप विचराधीन रखिए, क्यों आपने वह मापदंड सुप्रीमकोर्ट के सामने पेश किया । मेरा आखिरी प्रश्न है । अगर आपकी नीयत साफ है तो कोई आज तारीख निश्चित कर दीजिए कि हम उस तारीख तक अवश्य ही इस मापदंड को पेश कर देंगे । अगर यह नहीं करते तो आपके भी घडियाली आंसू हैं । बदनाम आप वी.पी. सिंह को कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं कोई बी. पी. सिंह का वकील नहीं हूं । लेकिन वोट उन्हें चाहिए थे तो मंडल कमीशन की घोषणा कर दी मगर बी. पी. सिंह से तुम्हें चिढ़ है, वोट तो तुम्हें भी चाहिए थे । लेकिन आपने मंडल कमीशन की घोषणा क्यों नहीं की ?

क्या आपकी नीयत साफ है ? इसलिए मंत्री जी आप स्पष्ट बताइए कि कौन सी तारीख तक आप सुप्रीम कोर्ट के सामने यह पेश कर देंगे और जब तक यह मामला विचराधीन है तो जिस तरह से आरक्षण की व्यवस्था इन पिछडी जातियों के लिए चली आ रही है ,आप उसको क्यों नहीं जारी रखने की घोषणा करते हैं ।

धन्यवाद ।

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Vice-Chairman, this statement is a classic exercise in deception, in procrastination and in prevarication. I am surprised to see that this voluminous statement does not contain any reference to the Mandal Commission. While your order paper refers to the Mandal Commission, the statement of the Minister does not make any reference to the Mandal Commission. And, this is not an omission by oversight. It is a case of deliberate, advertent, omission. From the statement it is very clear that the Government would like to sabotage...(Interruptions).

SHRI AJIT P. K. JOGI: Please read the heading of the statement.

SHRI A. K. ANTONY: You see the heading.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Only the headline. The headline is drawn from the order paper. The text does not contain any reference to the Mandal Commission. May I further tell you, dear friend, since your Minister has referred to the Congress (I) manifesto, the Congress(I) manifesto does not make any reference to the Mandal Commission.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: It is true. It is not mentioned anywhere in the body of the statement.

SHRI AJIT P. K. JOGI: Please read the heading. It states, ".....of the Mandal Commission Recommendations ...". Sir, Mr. Reddy has not read it. He has only read the text of the statement. He has not read the title of the statement. (*Interruptions*).

SHRI S. JAIPAL REDDY: I have read your manifesto much better than most of the Congressmen have done. I am, therefore, stating with unquestionable authority that your manifesto does not make any reference to the Mandal Commission.

SHRI AJIT P. K. JOGI: Please do not go by the letter of it, but go by the spirit of it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please do not convert this into a debate.

SHRI S. JAIPAL REDDY: The statement is entirely based on the spirit of the Congress (I) manifesto. Therefore, it does not make any reference to the Mandal Commission. Mr. Vice-Chairman, Sir, it is very important to note this. Our Minister—who, personally, I am sure, is committed to the implementation of the Mandal Commission recommendations but who, as a Minister, is helpless—will surely recollect that the Congress (I) manifesto, in 1989, in 1984, in 1980, in 1977, in 1971, in 1962, in 1957, has

[Shri S. Jaipal Reddy]

never referred to the reservation for backward castes in the Central Government services.

SHRI AJIT P. K. JOGI: What was the 1953 Commission? It was appointed by the Congress party.

SHRI S. JAIPAL REDDY: But, what has been done to that Commission? That Commission was appointed to scuttle the scheme of reservation for backward castes. You referred to this scheme in 1991 because of a certain situation obtaining before that election. Therefore, when you talk of the Congress (I)'s manifesto, I do not know how to react to that manifesto.

Now, what is the formula? First of all, you are intending to divide the backward castes—more backward and less backward. You want to divide the backward castes and perpetuate the rule of the upper classes or the upper castes which are largely, unfortunately, still synonymous in this country.

I may draw your attention to another thing. This lengthy statement does not refer to castes anywhere. It does not refer to the Mandal Commission nor does it refer to castes. It talks of the mystical, metaphysical expression, "classes". This word "caste" has been deliberately omitted.

SHRI AJIT P. K. JOGI: The Constitution also talks only of the SEBC.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Jogi, Mr. Ambedkar, in the course of a debate in the Constituent Assembly himself said, "the backward classes would not mean anything more than certain collection of castes." Mr. Jogi, of all the people, should remember this.

SHRI AJIT P. K. JOGI: We stand by this.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I know, you stand by this. But does the Congress stand by what you say? That is exactly the point. The Congress(I) does not stand by what Mr. Sitaram Kesri stands by or what Mr. Jogi stands by. The Congress(I) is Janus-faced. It is a two-headed phenomenon. I would not like to use a more harsh expression.

Now, I come to the economic criteria. Economic criteria with reference to what? Is it with reference to castes or is it with reference to people within the castes? This expression has been bandied about without context. What is the contextuality of the economic criteria? Did you care to mention? You took more than one year to tell the Supreme Court that you tried to evolve a national consensus on the economic criteria without telling the Supreme Court what you meant by the economic criteria. I would like to know what judgment are you expecting from the Supreme Court. Here is a Government which has no position to take at all before the Supreme Court. After the Supreme Court gives its judgment, you will once again initiate the process of consultation on the economic criteria and that process will be long lasting. If by any accident, you succeed in evolving some criteria before your term ends or you are thrown out, that again will be questioned in the court of law. At this rate, the reservation scheme for backward classes or backward castes will not be implemented by the Central Government at all. I would like to know as to how the Minister would like to meet this argument.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please conclude now.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Vice-Chairman, Sir,...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Lastly.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I would like to ask the Minister whether it is not true that there was reference in the Budget Speech of Mr. Manmohan

Singh in 1991-92, that there would be OBC Corporation and a provision of Rs. 100 crores had been set apart for it. That Corporation was not constituted, and hat money was not spent. In the Budget presented by the same Minister for 1992-93 he suffered from amnesia, failed to refer to it altogether. There is no provision at all. So how long are you hoping to throw dust in the eyes of the people? Do you thing you can sustain your Government, your party and the system through creation of an optical illusion? How long do you want to put off the day of reckoning? Can there be anything more deceptive, more misleading, more elusive than this statement? More elusive. The Minister's clarifications are known to me. He will once again indulge in quibbling. He will of course. shed a lot of crocodile tears. He must have also secured a lot of glycerine for the purpose, but this process wil not convince the people. You are for social harmony. You are for social harmony. But through deception, you will not promote social harmony, you will only provoke social disaster.

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मंडल कमीशन की । रिपोर्ट लागू करने के संबंध में मंत्री जी वक्तव्य है उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। इस देश को आजादी के 45 साल बाद उसको खंडित करने के लिए, उस आजादी को भंग करने के लिए इस देश के अंदर कुछ लोगलोग सत्ता और सत्ता से दूर रहे, उन्होने दो तरह के टोपे ओढ़े थ कुछ दलो कुछ दलों के लोगों ने तो मन्डल के टोपे कमंडल के टोपे ओढ लिए और हुआ यह कि इस देश के अंदर अस्थिरता जैसी स्थिति पैदा हो गई । तेल डाल-डाल कर लोग जले, साप्रदायिक दंगों से एक ऐसा वातावरण इस देश के अंदर पैदा हो कि देश की आजादी कहीं खत्म न हो जाए, देश की आजादी छिन्न-भिन्न नहींजाए देश के टुकडे-टुकडे नहीं हो जाऐं, इस देश को दो तरह की भावनाओं में बांटा जा रहा था एक जाति के आधार पर । और दूसरा धर्म के आधार पर । मैं आज देश के प्रधात मंत्री जी और समाज कल्याण मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने देश को ऐसे जलते हुए माहौल से ल कर निकाल कर आज सामाजिक न्याय लोगों को मिलना चाहिए, उसका वास्तविक रूप आपने जनता के सामते पेश कर दिया आर्थिक आधार । मैं यह पूछना चाहता हूं कि कई सदस्यों ने यह जाति के आधार पर ही बात कहीं थी । क्या जाति के आधार पर गरीब आदमियों को लाभ मिल सकता है ? लाभ नहीं मिल सकता । केवल उन जातियों के धन्ना सेठों को जो दिल्ली और बडे बडे शहरों में रहते हैं, उन जातियों के लोगों को लाभ मिल सकेगा ।

मैं माननीय मंत्री जी से इस वक्तव्य के बारे ; कुछ प्रश्न करना चाहूंगा मंडल कमीशन ; जिन पिछड़ी जातियों को लिया गया है, जो सूचियां आपने मंगाई हैं, ऐसे कौन-कौन से प्रांत हैं जिन्होंने मंडल कमीशन के अंदर आने वाली जातियों की सूची बनाकर आपके पास भेज दी है ? उनमें क्या राजस्थान सरकार ने और राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने क्या कोई पिछडे वर्ग की जातियों की सूची आपके पास भेजी है या नहीं भेजी है ? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Shri Anand Prakash Gautam, absent.

SHRI S. MADHAVAN (Tamil Nadu): Sir, I welcome the initiative taken by the Government to implement the reservations for Backward Classes. I am proud to say that Tamil Nadu stood in the forefront of making reservations for Backward Classes. Even during the British regime the Dravidian Party made reservations for the Backward Classes. It was set aside by the Madras High Court after independence. That led to a constitutional amendment which was demanded by the Dravidian leaders under the leadership of Periyar E.V. Ramaswami supported by the Congress leader, Shri Kamaraj. So, we are proud that Tamil Nadu stood in the forefront.

[Shri S. Madhavan]

I would like to know fram hon. Minister whether the Government has received the views of the Tamil Nadu Government on these proposals made by the Central Government. In Tamil Nadu we, both Drvidian Parties and Congress Party, stood together always in supporting the Backward Classes. The Tamil Nadu Government wanted to make reservation in educational institutions also. I would like to know whether the Government is going to consider that suggestion or not. Most of the educational institutions come under the State Government. There is no difficulty. Only few institutions are run by the Central Government. There is no difficulty for the Government of India in implementing reservation for the education purpose also. Without preparing the Backward Classes students for jobs there is no use in reserving jobs in the Central Government sector alone. I would like to know from the hon. Minister whether in deciding the backwardness, the rural backwardness criterion will be taken into account by the Government. Otherwise, most of these Backward Classes people and the Harijan people who live in rural areas will not be benefited by these reservations. So, I request the Government to take into account the rural backwardness while fixing the criterion. Now, there are two lists—Backward Classes list prepared by the State Government and the Backward Classes list recommended by the Mandal Commission and accepted by the Central Government. I would like to know which of these lists the Central Government is going to take into account. I would request the Government of India to accept the State Government list which is being implemented in various States, ruled by the Dravidian Party and the Congress Party. In various States we have got separate lists. That must be taken into account while deciding the Backward Classes list for implementing this reservation by the Central Government. Two lists will create problems before the courts. Lastly, I would like to know whethe the economic criterion will be easily implementable. I would like to know how you ae going to implement the 10 per cent reservation for the economically backward class because the Constitution speaks of only socially and educationally backward flasses. I would like to know whether the Government is going to amend the Consitution to provide his 10 per cent reservation for the economically backward class which does not come under "socially and educationally backward classes." That means you are going to reserve 10 per cent only for the economically backward class in the forward classes. I would like to know whether it is possible and whether the Government is going to take into account a constitutional amendment for this purpose. I would like to remind the Minister again whether the Central Government has taken into consideration the views of the Tamil Nadu Government forwarded by our revered Chief Minister to the Prime Minister recently.

6.00 P.M.

श्री अजीत जोगी : उपसभाध्यक्ष जी सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से माननीय कल्याण मंत्री जी को उनकी उस प्रतिबद्धता के लिए जिसे श्री रेड्डी ने विपक्ष में बैठते हुए भी रेखांकित किया और उनके द्वारा हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता और उससे ऊपर उठकर हमारी पार्टी के नेता श्री नरसिंह राव जी की प्रतिबद्धता इस बारे में जो है उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं और आपके माध्यम से चन्द प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहूंगा कि पिछड़ी जातियों का वर्गीकरण समय-समय पर किया गया—1953 के कमीशन ने 2399 जातियों को पिछड़ी जाति माना उसके बाद मंडल कमीशन जो 1978 में स्थापित हुआ उसने 3000 से ज्यादा जातियों को पिछड़ी जाति माना इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में समय-समय पर कमीशन बने उन्होंने अपने-अपने राज्यों में अलग-अलग जातियों को पिछड़ी जाति

माना । तो मैं आपके माध्यमस्प माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह जो विभिन्न सूचियां बनी हैं उनमें जो अंतर है फर्क है उसका हम किस तरह से समाधान करने वाले हैं? पिछली सरकार ने यह फैसला किया था कि प्रारम्भ में ऐसी जातियां, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में और राज्य सरकारों की रिपोर्ट में एक ही है, कामन हैं, उनको ही इसका लाभ दिया जाएगा । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कोई फैसला किया है कि समय-समय पर जो अलग-अलग अभिज्ञापित हुई हैं जातियां; उनमें से कौन सी जातियों को इस सुविधा का लाभ देने वाले है?

दूसरा प्रश्न मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि हमारे सामने दूसरे प्रदेशों में, राष्ट्र के स्तर पर तो नहीं कर प्रदेश के स्तर पर, समय-समय पर अलग-अलग पिछड़ी जातियों को सुविधा देने के समीकरण बने । बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने 12 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की अधिक पिछड़ी और पिछड़ी जातियों को सुविधा देने की बात की । हमारे माननीय सदस्य श्री राम नरेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लगभग 15 प्रतिशत लोगों को यह सुविधा देने की बात की थी । मध्य प्रदेश में सन् 1982 से यह सुविधा लागू... (**व्यवधान**)...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : जनता पार्टी के मुख्य मंत्री थे ।

श्री अजीत जोगी : आज तो हमारे हैं वह ।

श्री संघ प्रिय गौतम : जिसमें हम भी शामिल है ।

श्री अजीत जोगी : जिसमें गौतम जी भी शामिल मैं, मालवीय जी भी शामिल थे और उत्तर भारत में हीं मध्य प्रदेश में सन् 1982 में महाजन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट बनी, तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी ने उसको स्वीकार और तब से वह वहां पर लागू है । दक्षिण भारत में तो इसका प्रयोग बहुत पहले से प्रारम्भ हुआ और यह चलती रही, उत्तर भारत में भी हमारे सामने यह दो-तीन उदाहरण हैं जबकि इसको लागू किया गया और कोई भी सामाजिक तनाव उत्पन्न नहीं हुआ । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से यह जो विभिन्न उत्तर भारत के राज्यों की सरकारों का अनुभव है उसका अध्ययन किया गया है और यदि किया गया है तो यह जो अलग-अलग मॉडल हमारे सामने हैं—कर्पूरी ठाकुर मॉडल, महाजन कमीशन मॉडल, राम नरेश यादव मॉडल—इनमें से किसको वह अभी उपयुक्त मानते हैं?

श्री संघ प्रिय गौतम : कल्याण सिंह मॉडल ।

श्री अजीत जोगी : कल्याण सिंह जी का अभी कोई मॉडल नहीं बना ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : मॉडल नहीं आया । कापी किया, मॉडल नहीं आया ।

श्री अजीत जोगी : तीसरा प्रश्न आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा शक, संदेह, आशंका हम सबके मन में है कि जबकि बाबा साहब ने वर्ष 1950 से ही अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए यह सुविधा दी थी, पर आज तक उस सुविधा का लाभ इन वर्गों को नहीं मिल पाया, क्या यह सुविधा हम पिछड़े वर्गों को देंगे और उनका भी भविष्य वैसा ही होगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का हुआ है? इसलिए जब हम यह सुविधा देने पर विचार कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ हम एक कोई सार्वभौमिक, सत्ता-सम्पन्न, कांस्टीट्यूशनल, स्टेच्युटरी ऐसी कोई अथारिटी या कमीशन बनाएंगे जो इन अनुशंसाओं को, इन सिफारिशों को सही लागू किया जा रहा है या नहीं, इस पर लगातार ध्यान रखेगा?

चौथा प्रश्न मैं यह पूछना चाहूंगा... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : आखिरी ।

श्री अजीत जोगी : कि यदि आर्थिक आधार लगाए जाने की बात हो रही है विद इन दि बेकवर्ड क्लास, जिसको सब मानते हैं कि अच्छा है, क्योंकि देश की लगभग 50 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या इन पिछड़ी जातियों की है जिस देश में अगर 43–44 करोड़ लोग इस जाति के बनते हैं और उन सबको लाभ दिया जाएगा' तो उसमें जो ज्यादा समृद्ध हैं, वह ही केवल लाभ ले लेंगे । तो यदि उनके बीच में ही आर्थिक आधार लगाया जा रहा है तो इधर-उधर की बात न कर के जो "क्रिमी दी पावर्टी लाईन" का एक नोर्म हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, क्या उसको इसमें लागू किया जाएगा ? पांचवीं बात मैं आपके माध्यम से... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच. हनुमनतप्पा) : बस ।

श्री अजीत जोगी : मैं केवल प्रश्न पूछ रहा हू, भाषण नहीं दे रहा हू । इसलिए कृपया एक मिनट का समय और दें । पांचवीं बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, वह यह है कि जैसा पहले का अनुभव बताता है, जब भी हम इसको लागू करेंगे तो प्रचार-प्रसार की तरफ बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा इसका कुप्रचार और दुष्प्रचार होगा और पूरी योजना को लागू नहीं होने दिया जाएगा, जैसे पहले हो चुका है । इसका प्रचार-प्रसार सही परिवेश में हो, तो क्या इसके लिए भी कोई योजना हमने साथ ही साथ बनाई हुई है ?

अन्त में, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि लगभग एक वर्ष से अधिक हो गया है जब से यह नई सरकार, जिसकी इस योजना के प्रति प्रतिबद्धता सब को मालूम है, जो इस योजना के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, बयान में यह कहा गया है कि अब राजनीतिक पार्टियों से फिर से चर्चा की जाएगी । तो इस बीच में भी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से चर्चा हुई होगी । क्या चर्चा हुई, किस पार्टी का क्या रुख रहा और कौन सी ऐसी पार्टी है जो इसको लागू नहीं होने देना चाहती और इस परिवेश में इसको स्वीकार नहीं करने देना चाहती है ? धन्यवाद ।

SHRI B. V. ABDULLA KOYA (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I strongly support the Mandal Commission's recommendations regarding reservations. But I would suggest some small corrections in the report. I don't know whether the critics have noted this mistake. In the report the Muslims in Kerala are divided into two classes by colling them, as Moplas. the people who reside in the erstwhile Malabar District and Metas, the people who reside in the Travancore District. More than half the people would be deprived of the reservation benefit if they are divided like this into Maparas and Mehtas. Therefore, I would ask the Minister whether he has noted down this anomaly. Another thing I would like to point out is the economic criterion of 10 per cent; whether you give 10 per cent or 12 per cent to the economically weaker sections we need not worry about it unless and until you give an assurance that these concessions would not be at expense of the real backward classes. Thank you.

श्री राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, वैसे तो मेरा निश्चित मत है कि यह गवर्नमेंट मंडल आयोग की सिफारिश लागू नहीं करेगी । फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि क्या अपने इस कार्यकाल के अन्त तक यह मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करने की सच्चे दिल से कोशिश करेंगे ?

श्री छोटूभाई पटेल (गुजरात) : सर, एक बात दोहराते हुए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे समाज कल्याण मंत्री जी का समाज के विकास के बारे में, देश की

तरक्की के बारे में, देश को मजबत करने के बारे में दिल और दिमाग बहुत साफ है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आदरणीय मंत्री जी रामराज्य इस देश में लाना चाहते हैं और जब तक उनके पास यह पोर्टफोलियो रहेगा तब तक मंडल कमीशन की सिफारिशों के कार्यान्वियन का काम होता रहेगा, मुझे इसके बारे में कोई शक नहीं है ।

आदरणीय मंत्री जी, मैं इस कमीशन के इतिहास और उससे संलग्न बातों में जाना नहीं चाहूंगा मगर आपने जो यहां मुद्दे रखे हैं, थे इसमें शीर्षक में कुछ ऐड करना चाहूंगा । आपने कहा है—"सोशली एड एजुकेशनली बैकवर्ड" । मैं इसमें एक शब्द ऐड करना चाहूंगा —"सोशली, एजुकेशनली एंड इकनॉमिकली बैकवर्ड" ।

सर, हमारे संविधान में कहा गया है कि इस देश में, समाज में अपार्चुनिटी की समानता होगी । आप भी चेयर पर बैठे हुए हैं । आप भी बहुत प्रतिबद्ध हैं समाज की तरक्की के बारे में और जो साऊथ स्टेट्स हैं उन्होंने तो मंडल आयोग की भावनाओं को पहले ही लागू कर दिया है और यह सरकार भी लागू करना चाहती है । यह अच्छी बात है मगर इसमें जो कस्ट्रेंट्स हैं, जो ऑप्सटेक्बल है इनको दूर करने के लिए हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं । पहला तो है समय के बारे में । जब तक इसको हम नहीं करेंगे तब तक देश को मजबूत नहीं कर पाएगे । 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग हमारे देश में एक कैटेगरी में आते हैं जो स्टेटमेंट में दिखाया गया है । इन लोगों के लिए इतने सालों तक हम इतजार करते रहे, पर ये लोग ज्यादा इंतजार करने वाले नहीं हैं । मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा की इसके बारे में हम चिंतित है, सारा देश चिंतित है मगर खुशी की बात है कि हमसे आप ज्यादा चिंतित हैं ।

मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये आर्थिक क्राईटीरिया जो है, इस आर्थिक क्राईटीरिया का जो बेस है, यह बेस हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता । दूसरी बात यह है कि जो गरीब लोग हैं, चाहे वह एस.पी. या एस.टी. में आते हैं, चाहे पिछड़ी कैटेगरी में आते हैं, अगर सामाजिक जागृति उनके पास नहीं है तो उनकी आर्थिक दशा भी दयनीय होगी और वे पीछे रहेंगे । तो इस पिछड़ेपन दयनीय होगी और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं ।

सर, जितना आप प्रतिबद्ध हैं, जितना आप संलग्न हैं उतना ही हम भी सलग्न हैं । इस समय हम ज्यादा नहीं कह पाएंगे, जब मौका लगेगा तब हम काफी बात कहेंगे मगर जो भावनाएं रखी गई हैं उसके बारे में चंद बातें जरूर कहना चाहूंगा । जो दस प्रतिशत सिविल सर्विसेज की बात कही गई है, जब तक हम ज्यादा नहीं दे पाएंगे तब तक यह समस्या रहगी ही रहेगी क्योंकि कैपेसिटी उतनी नहीं होगी । जब तक हम शिक्षा का प्रावधान नहीं करेंगे तब तक ये शीट रहेगी ही रहेगी । सिविल सर्विसेज के बारे में जो ये बात कही गई है, मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पहली बात जो हम करें कि उनको जाग्रत किया जाए ताकि वह जगत में खड़े रह सकें ।

यह अहम बात आप भी जानते हैं, तो इसके बारे में सरकार क्या कर रही है ? . . . (**समय की घंटी**)

महोदय, मैं ज्यादा न कहकर इतना ही कहना चाहता हूं कि फॉम टर्मिनल प्वाइंट टू स्टार्टिंग प्वाइंट का सिस्टम आप नहीं अपनाएगे तब तक यह मामला हल होना कठिन है । आप जानते हैं कि जब नहर मे पानी आता है तो शुरू शुरू में जहां स्टार्टिंग प्वाइंट है वे लोग तो पानी ले लेते हैं, लेकिन टर्मिनल प्वाइंट पर जो रहते हैं उनको पानी नहीं मिलता है । तो टेल प्वाइट की बात आप सोचेंगे ? हमने पहले माइक्रो प्लानिंग किया था, फिर भी जिन लोगों को हम फायदा पहुचाना चाहते थ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए जो स्कीमें बनाई थीं, उनको उनका बैनिफिट नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूगा कि फाम टर्मिनल प्वाइंट टु स्टार्टिंग प्वाइंट आपको देखना होगा. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): He is not even hearing the bell. (*Interrup-*

[Shri H. Hanumanthappa]

tions) . . . Hon. Members have forgotten the Bill including senior Members. What can I don? . . . . (*Interruptions*) If he is not coming to the point. what can I do? . . . (*Interruptions*) . . . I know that. still what to do?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): चलिए टॉलरेट करें।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच. हनुमनतप्पा) : जगदीश प्रसाद जी आप ऐसा करते हैं, बाद में कहते हैं टॉलरेट करें।. . .

श्री छोटूभाई पटेल : महोदया, मैं तो यही कह रहा हूं कि गरीबों को फायदा पहुचाने की जो भावना इस वक्तव्य में बताई गई है यह कार्यान्वित होगी, इसके बारे में मंत्री जी बताएं। मैं चाहूंगा कि हो सके तो जितनी जल्दी देश के पिछड़े लोगों की सहायता करके उनकी भावनाओं को बलवत करें, उतना ही अच्छा हो, यही मेरा आप से निवेदन है।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Sir, the Statement may be with much of political wisdom but without any political will—lack of political will be implement the same. As some of the Members were mentioning, there is reservation. . . (*Interruptions*) . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Don't go to some of Members. You give your view.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: In Andhra Pradesh there is reservation for backward classes and it was incorparted long back, more than two decades ago when Mr. P. V. Narasimha Rao, the present Prime Minister, was among the Council of Ministers in the State. There is a twenty-five per cent reservation in Andhra Pradesh. Time and again, it was mentioned that economic criterion is yet to be decided. What is that economic criterion? What are the proposal from the State Governments received by the Central Government and at what stage of consideration are these proopsals? It appers that thee whose parental income is more than Rs. 1.000/- or so permonth. If one reads between the lines, and whose parents are in Government service, they may not enjoy the rtservation benefit, I would like to know from the Minister whether there are any such proposals under the consideration of the Government. Another aspect I would like to add is that very recently the Supreme Court came down heavily on the capitation fees for selecting students for admission into medical, engineering and dental colleges on the basis of capitation and the Government is sleeping over that. Some of the responsible Ministers of Andhra Pradesh are asserting time and again that they are going ahead with the capitation colleges. Our Union Government and Mr. Fotedar are not serious about the same and at the same time, the hon. Minister in the course of his statement wants to while away the time and he wants to take shelter under the Supreme Court. And, Sir, the Minister wants to take shelter behind the judgment of the Supreme Court. So, I would like to have the clarifications on these points I would also like to know from the Minister what the thinking of the Government is on the recent Supreme Court judgment on the capitation fees issue and also on the present question of economic criteria.

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) मिनिस्टर साहब आप बोलिए।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : मैं एक मिनट चाहती हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच. हनुमनतप्पा): मैं मंत्री जी को बुला चुका हूं, आप बैठिये।

श्रीमती सत्या बहिन : मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि एक मिनट का समय मुझे दे दें मैं सुझाव रखना चाहती हूं।

श्री सीताराम केसरी : ठीक है। बोल लीजिए।

श्रीमती सत्या बहिन: मैं उपसभाध्यक्ष जी आपको और मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे एक मिनट का समय दे दिया। आरक्षण की व्यवस्था लागू करना पूरे देश में दिल और दिमाग की बात है। पिछली सरकार ने जो आरक्षण की घोषणा की थी वह दिमाग से की थी। वह दिमाग से सोच समझ कर की थी कि वोटों का राजनीतिक लाभ मिलेगा। जहां तक कांग्रेस सरकार की बात है वह जो काम करती है वह दिल से करती है। उसके लागू होने में किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी: इस सरकार तो दिमाग ही नहीं है यह सर्टीफिकेट मिल रहा है।

एक माननीय सदस्य: दिल तो है।

श्रीमती सत्या बहिन: कांग्रेस सरकार के पास दिल और दिमाग दोनों हैं। पहले दिल से काम शुरू करते हैं और फिर दिमाग से लागू करते हैं।

मैं मंत्री जी से केवल दो बातें पूछना चाहती हूं। एक तो यह कि आरक्षण के आर्थिक आधार की सीमा रेखा क्या होगी? क्या भूमि से इसको जोड़ा जायेगा या आमदनी से इसको जोड़ा जायेगा? दूसरे मेरा कहना यह है कि आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्था है और केन्द्रीय सरकार की नीति भी है। लेकिन जिस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति का जो आरक्षण है उसमें खासतौर से एक विसंगति है। इस संबंध में जब मंत्री महोदय की विभिन्न दलों से, मुख्य मंत्रियों से बात होगी तो उसमें क्या इस बात का ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे कि अनुसूचित जाति, जनजाति का एक वर्ग किसी राज्य के आरक्षित वर्ग में आता है और वह वर्ग दूसरे राज्य में नहीं आता है, वह पिछड़े वर्ग में आता है और इस तरह से उसको वह सुविधा से वंचित कर दिया जाता है तो क्या एक ही नीति पूरे देश में लागू करने की कृपा की जायेगी? तीसरे यह है कि कुछ जजों ने आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ टिप्पणी की है जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो क्या इस बात के लिए कोई आचारसंहिता बनाई जायेगी या उन जजों से यह कहा जायेगा कि वह आगे से कोई इस तरह की टिप्पणी न करें जिसको समाज में वातावरण खराब न हो?

इसके साथ ही मैं एक और छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूं। हमारे भाई गौतम भारतीय जनता पार्टी के सरकार का स्तुतिगान कर रहे थे। वह जो कर रहे थे यह उनका अपना धर्म है। लेकिन मैं कल्याण मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अभी विभिन्न राज्यों से जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को देखने से स्पष्ट यह पता लगता है कि भाजपा की सरकारें जिस राज्य में हैं वहां पर एट्रोसिटीज की घटनाएं ज्यादा हुई हैं... (व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह (राजस्थान): आरक्षण से इस का क्या मतलब है। (व्यवधान)

श्रीमती सत्या बहिन: नीयत का सवाल है आरक्षण किस नीयत से लाग किया जाता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: एट्रोसिटीज का सवाल कहां से आ गया? (व्यवधान)

श्रीमती सत्या बहिन: लोगों को भरोसा है... (व्यवधान)

SHRI SUKOMAL SEN, Sir, why do you allow it to degenerated? Some important issues are being discussed now ... (*Interruptions*) ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Sen, the debate is in the hands of the Members. If they want it to degenerate, how can we prevent it? In spite of ringing the bell, they go on... (*Interruptions*)...

SHRI SUKOMAL SEN: Today, you have unusually come to occupy the Chair ... (*Interruptions*) ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): I am sorry, Mr. Sen. Some Members raises the medical education issue and somebody else raises the capitation fees question. What can we do? If the Members cannot confine themselves to the main issue, the Chair cannot dictate ... (*Interruptions*) ...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: You can ask them to sit down.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Yes, I can ask. But Mr. Mathur does not yield! When it comes to others, Mr. Mathur wants the rule to be applied. But, when it comes to him, he wants exceptionss This is how every Member feels. Mrs. Satya Bahin, please conclude now.

श्रीमती सत्या बहिन: मंडल आयोग की जब घोषणा हुई तो उड़ीसा में बीजू पटनायक ने साफ कह दिया था कि हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्री ने कह दिया था कि हम शिक्षण संस्थाओं में लागू नहीं करेंगे। तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी या नहीं होगी ?

SHRI PRAGADA KOTAIAH (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman. Sir, at the outset, I thank you for giving me an opportunity to speak on this.

Sir, in the State of Andhra Pradesh, reservations are there. There is a list of approved Backward Classes also. There is no difference between the list recommended by the Mandal Commission and the list already approved in Andhra Pradesh. I would like to suggest that the list adopted in Andhra Pradesh may be adopted by the Government of India also.

Sir, it is very difficut to identify the poorer sections among the Socially and Educationally Backward Classes. Today, he may be poor. and tomorrow he may be rich. Therefore, if we want to do social justice, we will have to divide the entire country into two categories—people holding jobs and people without jobs —because, even the Congress Party also, on several occasions, said that each family must have a job. The Government wants reservations for economically Backward Classes. But no mention has been made of that in the Constitution. As our friend from Tamil Nadu has stated. the Constitution will have to be amended to provide reservation to the economically Backward Classes. And it is also difficult to define 'economically backward classes'. Is it among the forward classes or is it among the Backward Classes? Or, is it among the SCs and STs also? If we want to define 'poorer sections' among the Backward Classes, why not the poorer sections be defined among the SCs and STs also? Is it possible for the Government? Therefore, if at all the Government wants to do social justice in this country, let the people be divided into two categories—"have's" and "have-nots". And provide adequate reservations for the "have-nots". Then only we will have social justice.

Thank you, Sir.

श्री सीताराम केसरी: मान्यवर, हम सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने आज के वक्तव्य पर अपने कुछ क्लेरिफिकेशन्स, मुझसे कुछ सफाई मांगी है। मालवीय जी ने यह प्रश्न किया कि आप इकनोमिक क्राइटेरिया, आर्थिक आधार को कब करने वाले है। हम प्रारम्भ में ही कह चुके हैं और इस संबंध में इतना ही कहना चाहते हैं कि 29-9-91 को प्रधान मंत्री जी ने सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा। चूंकि जिस समय 13 अगस्त, 1990 का जो इनका जो०एम० पेश था सुप्रीम कोर्ट में उसको 1991 के 25 सितम्बर को अपने घोषणा पत्र

के अनुसार, आर्थिक आधार के अनुसार, बनाकर आम सहमति सभी दलों से लेने के बाद 25 सितम्बर, 1991 को यह पेश हुआ। उसके तत्काल ही हम लोगों ने इकनोमिक क्राइटेरिया, आर्थिक आधार का निर्णय लेने का फैसला किया और इस तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक ऐसी स्टेज में हम लोगों ने जितनी जल्दी हो सके, सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की कोशिश की। पहली बार प्रधान मंत्री जी ने 29-10-91 को यह पत्र लिखा। उसके बाद जवाब नहीं आया तो 24-12-91 को फिर पत्र लिखा गया प्रधान मंत्री जी द्वारा चीफ मिनिस्टर्स को, गवर्नर्स को और लेफ्टि० गवर्नर्स को। फिर रिमाइंडर कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा 3 जनवरी, 1992 को गया। फिर रिमाइंडर हमारी तरफ से 13-1-92 को गया। फिर रिमाइंडर कैबिनेट सेक्रेटरी के टेलेक्स द्वारा 20-1-92 को गया। ...(व्यवधान)... मेरी बात सुनिये। आपकी सारी बातें सुनने के बाद पहले मैं यह कह देना चाहता हूं--टेलीफोनिक रिमाइंडर भी हमने दिया। यह आरोप गलत है कि हम किसी तरह भी विलम्ब करना चाहते है। जहां तक सरकार की प्रतिबद्धता का प्रश्न है, आप देखेंगे कि आरक्षण के संबंध में जब से कांग्रेस सत्ता में आयी है या इसके पूर्व इसके प्रति उसकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कांस्टिट्युएंट असेंबली मे 13 दिसम्बर को अपने भाषण में साफ कहा था कि :

> "आज, इस संविधान सभा में, निश्चित रूप में वांछनीय होगा कि हम अपने लिये, उन लोगों के लिये जिनकी निगाहें इस संविधान निर्मात्री सभा की ओर लगी हुई हैं, उन करोड़ों देशवासियों के लिये जो हमारी तरफ टकटकी लगाये बैठे है, समस्त विश्व के लिये अपना दिशा-निर्देश करें कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस मार्ग की ओर उन्मुख हैं। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने यह संकल्प इस सभा में रखा है। यह संकल्प है परन्तु यह मेरे लिये यह संकल्प से भी महत्वता की वस्तु है।"

13 तारीख को उन्होंने पिछ ड़ेवर्गों के संबंध में कहा कि :

> "समान अवसर ही नहीं बल्कि कुछ विशेष अवसर भी पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलने चाहिये ताकि उनकी शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति हो सके और वे उन लोगों के साथ चल सकें जो उनसे आगे निकल गये हैं। इस तरह की कोई भी कोशिश करने से भारत के सब लोगों को अवसर मिलेगा, फलस्वरूप एक महान शक्ति का अभ्युदय होगा, जिससे राष्ट्र का कायाकल्प हो जायेगा"।

इसलिये यह कहना कि पंडित जी के टाइम में, 1952 में या कभी भी, अगर यह बात न होती तो 1953 में काका कालेलकर कमीशन बिठाने की आवश्यकता न होती। कांग्रेस के दिमाग में निरन्तर यह रहा है कि निर्बल, पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजातियों या अल्पसंख्यक इस सभी के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता रही है, कटिबद्ध रही है और निरन्तर उसके सोच में यह बात रही है कि इनको विशेष व्यवहार, विशेष केयर देने की आवश्यकता है। इसलिये यह आरोप कि कांग्रेस कभी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं है, यह गलत है।

दूसरी बात, आप देखेंगे कि 1952 में या इससे पूर्व अनेक सरकार, जो प्रदेश सरकारें, बनीं, इनमें कांग्रेस की सरकारें करीब करीब सभी जगह थी उन सभी प्रादेशिक सरकारों में आरक्षण लागू हुआ। चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार में भी आप देखेंगे कि स्कालरशिप के आधार पर वहां आरक्षण हुआ, दूसरे ढंग से। सारे देश में अपने अपने ढंग से आरक्षण हुआ और विशेष प्रदेशों में विशेष प्रकार से आरक्षण दिया गया। केरल में भी और सभी प्रदेशों में दिया। इसलिये यह आरोप निराधार

(श्री सीताराम केसरी)

है और इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है।

तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने एक बात कही है कारपोरेशन की। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि नेशनल बैकवर्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन 13-1-92 को रजिस्टर्ड हुआ है और 25 करोड़ रुपया उसको मिला है, ड्यूरिंग 1991-92 और फरदर 25 करोड़ मिला है 1992-93 में और 200 करोड़ रुपया अथोराइज्ड कैपिटल उसको प्राप्त हुई है। आपने कहा देखिये कोई भी कारपोरेशन जिसका निर्णय हमने लिया, इसके पूर्व, देखिये मेरी आदत है और मैं यह कभी नहीं चाहता हूं कि किसी पूर्ववर्ती सरकार पर किसी बात को लेकर आरोप लगाया जाय और हम अपनी आत्मश्लाघा की बात करें। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि अगर कोई समस्या या किसी मामले का समाधान नहीं हो सका है तो मुझे अपनी शक्ति, अपनी अक्ल और अपनी बुद्धि के आधार पर उसका समाधान करना चाहिए।

आप देखिये, डवलपमेंट कारपोरेशन बना, जनवरी में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके कांस्टीट्यूशन का प्रोसेस है, यह शीघ्रातिशीघ्र बन कर रहेगा। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं (**व्यवधान**)

SHRI S. JAIPAL REDDY: How much money was spent?

SHRI SITARAM KESRI: Not a single farthing. That is right.

आपने कहा कि बना ही नहीं। आपने कहा कि बजट से रुपया नहीं मिला। इसका मैं उत्तर दे रहा हूं। 200 करोड़ रुपये का अथोराइज्ड कैपिटल है। (**व्यवधान**) देखिये 25 करोड़ (**व्यवधान**)

SHRI S. JAIPAL REDDY: If the hon. Minister does not mind, when you do not know who are the Other Backward Classes, what is the point in setting up a Corporation because you will not be able to spend a pie on it?

श्री सीताराम केसरी: मैं उसका भी जवाब आपको दे रहा हूं। चिन्ता मत कीजिये।

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I think it is not controversiay. The list is already there. In every State, the list of Backward Classes is already there.

श्री सीताराम केसरी: अब मैं आपसे कह रहा हूं (**व्यवधान**)

श्री शिव चरण सिंह: 1952 में नेहरू जी ने कहा अब यहां चर्चा होने लगी है, (**व्यवधान**) अब 40 साल बाद 1952 के बाद बैकवर्ड क्लासेज की चर्चा होने लगी है (**व्यवधान**)

श्री सीताराम केसरी: देखिये, मैं एक चीज आपसे कहता हूं। 52 साल के बाद आज आप सभा में इतनी तेज आवाज में बोल रहे है। यह आवाज कांग्रेस ने आपको दी (**व्यवधान**) चाहे जो आप कह लीजिये, आप जितना आरोप लगा लीजिये, यह वाणी गांधी जी ने दी, यह वाणी जवाहर लाल जी ने दी। इस वाणी का और हिन्दुस्तान में जनतंत्र और आज़ादी लाने का श्रेय कांग्रेस को है (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: इमरजेंसी लगाना, तानाशाही लाने और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयत्न कांग्रेस ने किया (**व्यवधान**)

श्री सीताराम केसरी: माथुर साहब देखिये (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: जब आपने तानाशाही की तो जनता ने आपको उखाड़ कर फेंक दिया (**व्यवधान**)

श्री सीताराम केसरी: मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और कांग्रेसवादी जनता दल के साथ। आपका अपना कोई अस्तित्व इस देश में नहीं है। अगर आप इनके साथ नहीं आये तो चुनाव जीत कर नहीं आ सकते (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : माफ कीजिए, आपको यह गलतफहमी है । (**व्यवधान**)

श्री सीताराम केसरी : अभी आपने और जनता दल ने मिल कर राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा किया, तब आपको वोट मिला । (**व्यवधान**) यह मैं आपको कह देता हूं (**व्यवधान**) हमें आप मत छोड़िए ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपकी हालत तो यह है कि अपना दमखम बढ़ाने के लिए जनता दल को तोड़ रहे हैं। पैसे के बलबूते पर यह कर रहे हैं (**व्यवधान**) यह आपकी ताकत है (**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी : आजादी के पहले तो इनका पता नहीं था (**व्यवधान**)

श्री लाखीराम अग्रवाल (मध्य प्रदेश) : आप तो नौकरशाह थे (**व्यवधान**)

श्रीमती सत्या बहिन : आप तो अंग्रेजों के साथ थे । (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा): सत्या बहिन जी आप बैठिए (**व्यवधान**)

श्री कैलाश नारायण सारंग (मध्य प्रदेश) : जब आपको बात समझ में नहीं आती तो मत बोला करें । (**व्यवधान**)

श्री सीताराम केसरी : 13 स्टेटों में लिस्टें अभी बन पाई हैं । एक चीज में और बताना चाहता हूं । आपने कहा कि मंडल आयोग का नाम नहीं है । मंडल आयोग के आधार पर सारी चीजें हो रही हैं । एक बात और मैं कहना चाहता हूं मिस्टर जयपाल रेड्डी जी, जिस दिन इस जगह से वी० पी० सिंह जी ने घोषणा की थी, आपको याद होगा मैं वहां बैठा हुआ था, मैंने उसी दिन कहा कि हमारा काल है, आपकी राजनीति है । आरक्षण हमारा काल है, हम कर के रहेंगे । आपने पूछा कि विलम्ब क्यों तो मैंने बता दिया कि विलम्ब का क्या कारण है । इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल (उत्तर प्रदेश) : आपका काल तो माइनारिटीज के लिए भी बहुत कुछ था । 15 सूत्री प्रोग्राम को जरा आप चैक करिए । आपने एक साल में एक मीटिंग भी नहीं की, यह इंतेहाई शर्म की बात है ।

†شری محمد افضل (یو پی) : افضل آپکا کال تو مائناریٹیز کے لئے بھی بہت کچھ تھا۔ 15 نکاتی پروگرام ذرا آپ چیک کیجئے۔ آپ نے ایک سال میں ایک میٹنگ بھی نہیں کی۔ یہ انتہائی شرم کی بات ہے۔

He is the only Prime Minister in the country who, for the last one year, did not take up the cause of the minorities in the country.

इलावा बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के और क्या काम कर रहें हैं ? (**व्यवधान**)

†علاوہ بابری مسجد اور رام جنم بھومی کے اور کیا کام کر رہے ہیں ... مداخلت...

श्री अजीत जोगी : यह तो विषयांतर हो रहा है (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : यह भी विषय है । (**व्यवधान**)

†بھی دیکھئے ہے ... مداخلت ...

شری محمد افضل (یو پی) : یہ

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : आप बैठिए । (**व्यवधान**)

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ **मीम अफजल** : मीटिंग हर दो महीने बाद होती है माइनारीज के ऊपर (**व्यवधान**)

شری محمد افضل عرف م۔ افضل ۔
میٹنگ ہر دو مہینہ بعد ہوتی ہے مائناریز
کے اوپر ۔ ۔ ۔

माइनारिटीज के ऊपर 15 नुकाती प्रोग्राम को रिव्यू करने के लिए . . (**व्यवधान**) गुजरे एक साल मे प्राइम मिनिस्टर ने कभी मीटिंग बुलाई . . . (**व्यवधान**)

شری محمد افضل عرف م۔ افضل مائناریز
کے اوپر پندرہ نکاتی پروگرام کو ریویو کرنے
کے لئے . . . مداخلت . . . گزرے ایک
سال میں پرائم منسٹر نے کبھی میٹنگ
بلائی . . . مداخلت . . .

उपसभाध्यक्ष (**श्री हेच० हनुमनतप्पा**) : अफजल भाई, आप इधर बैठ करके टीका टिप्पणी करते थे, अब आप बिना कोई इजाजत लिए . . . (**व्यवधान**)

श्री सीताराम केसरी : देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं यद्यपि विषयांतर आप हो गए हैं, और दूसरे उसूल पर आ गए हैं । हम कुछ विशेष आप से इन बातों से कन्टेस्ट नहीं करेंगे भावना आपकी जो बनी हुई है मैं समझता हूं कि उसके ऊपर कोई तथ्य नहीं है । आप गम्भीरता से सोचिए । सोचने की जरूरत है, आपस में टकराने की आवश्यकता नहीं है इन मुद्दों पर, देखिए, मैं बता देता हूं । एक चीज मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस चीज पर हम बहुत सारी बातें आपको बता सकते हैं, मगर आरोप प्रत्यारोप के लिए हम तैयार नहीं हैं . . . (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : विद ड्यू रिस्पैक्ट, हम कोई टकराव की बात नहीं कर रहे हैं । मुंह से जुबान खोलना भी क्या आप बुरा समझते हैं . . . (**व्यवधान**) जुबान खोलना भी बुरा समझते हैं । आप यह चाहते हैं कि हम जुबान ही न खोलें ।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل :
وِد ڈو رسپیکٹ ۔ ہم کوئی ٹکراؤ کی بات
نہیں کر رہے ہیں ۔ منہ سے زبان کھولنا
بھی کیا آپ بُرا سمجھتے ہیں ۔ ۔ مداخلت ۔ ۔
زبان کھولنا بھی بُرا سمجھتے ہیں آپ یہ
چاہتے ہیں کہ ہم زبان ہی نہ کھولیں ۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H HANUMANTHAPPA): Mr. Afza why do ignore the Chair?

SHRI MOHAMMED AFZAL *ali* MEEM AFZAL: Sorry, Sir.

श्री सीताराम केसरी : एक बात और तो हमने यह आपसे कहा कि विलम्ब हमारी तरफ से नहीं हुआ है । अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने रिमाइडर दिया, टेलीफोन करने के बाद और उनकी बात करीबन फरवरी के बाद हमें प्राप्त हुई, उसके बाद चीफ मिनिस्टर लोगों की कांफ्रेंस 10 अगस्त, 1992 को हुई और उसका आधार हम बता देना चाहते हैं-इकनामिक क्राइटेरिया पर दो स्टेट्स को छोड़कर सभी स्टेट्स इकनामिक क्राइटेरिया के पक्ष में थे । यह आपकी सूचनार्थ हम बता देना चाहते हैं ।

एक माननीय सदस्य : कौन सी स्टेट्स थी ?

श्री सीताराम केसरी : तमिलनाडु और बिहार । (**व्यवधान**)

जहां तक सूची तैयार करने की बात है, इस संबंध में भी हम कह देना चाहते हैं कि सुप्रीम कार्ट के निर्णय तक, देखिए

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

25-9, नहीं ...(व्यवधान) भूतपूर्व सरकार, श्री वी. पी. सिंह की सरकार ने एक प्रेस नोट दिया और इकनामिक क्राइटेरिया बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी की बात कही । मगर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हमको परमिशन लेनी होगी । उसके बाद उनकी सरकार जब बदल गयी, चन्द्रशेखर जी की सरकार आई तो उनका क्या फैसला हुआ, उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग नहीं आ जाए, जो उनका माफ है, तो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग के बाद ही यह हम लिस्ट तैयार करेंगे और एक एक्सपर्ट कमेटी बनायेंगे । यह आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं ।

श्री संघ प्रिय गौतम : यह तो आपके ही द्वारा चलाई जा रही है ... **(व्यवधान)**

श्री सीताराम केसरी : एक बात आपने कही । राम नरेश जी ने और आपने भी, कि सुप्रीम कोर्ट को जल्दी जजमेंट के लिए कह जाए । अगर कानून में प्रावधान है, कोई रास्ता उसका हो तो हम 10 बार कहने के लिए तैयार हैं कि शीघ्रातिशीघ्र वे जजमेंट अपना दें जिससे कि उसके बाद हम कोई अपना काम कर सकें ।

श्री संघ प्रिय गौतम : आपने तो स्टेटमेंट में कहा कि जजमेंट इज रेडी । केवल आपका इंतजार कर रहे हैं ।

श्री सीताराम केसरी : मैंने कहा कि जजमेंट इज अवेटेड । देखिए, रेडीमेड कैसे कह सकता हूं । मैं कैसे कहा सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रेडी है कि नहीं । हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : पोलिटिकल पार्टीज की मीटिंग कब बुला रहे हैं ... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : सुप्रीम कोर्ट ने आपसे ब्वेरी की और आपने उनका उत्तर नहीं दिया .. **(व्यवधान)**

श्री सीताराम केसरी : एक बात मैंने कही कि सभी पोलिटिकल पार्टियों के मुख्य मंत्रियों की कांफ्रेंस 10 अगस्त, 1992 को हो चुकी है । अब ज्यों ही मैं बता रहा हूं ...(व्यवधान) चूंकि इकनामिक क्राइटेरिया पर कांस्टीटयूशनलिटी के लिए उसको फैसला देना है तो ज्यों ही उनका फैसला आ जाएगा इमीडिएटली सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग करके इसका निर्णय हम ले लेंगे । कोई और प्रश्न ।

श्री शिवचरण सिंह : इकनामिक क्राइटेरिया पर उनका यह फैसला आना है कि इकनामिकली आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते है ?

श्री सीताराम केसरी : करेक्ट ... **(व्यवधान)**

श्री शिव चरण सिंह : जो इशु आपने बनाया है उसकी पूरी जानकारी आपने नहीं दी ।

एक माननीय सदस्य : आप डिले कर रहे हैं ।

श्री शिव चरण सिंह : बार-बार आपको तकाजा करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी केंद्रीय सरकार ने नहीं दी है ।

श्री सीताराम केसरी : एक बात सुन लीजिए । जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पर नहीं आता है तब तक मैं कोई भी राय नहीं दे सकता हूं ।

श्री शिव चरण सिंह : सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप डिले करना चाहते हैं यह मेरा चार्ज है ।

श्री संघ प्रिय गौतम : *यह- है यह गलत है । यह आपका आरोप है ।। उसे कोई नहीं रोक सकता है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय *:-शब्द अनपार्लियामेंट्री है ।

*Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच. हनुमनतप्पा) : वह निकाल दिया जाए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : वह वापिस ले लें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच. हनुमनतप्पा) : क्या जरूरत है । वह निकाल दिया ।

श्री सीताराम केसरी: I am sorry for that word. असत्य समझिए । नहीं नहीं मैं गलती करूंगा तो कह दूंगा क्योंकि यह जो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमैंट को रोक रहे हैं इसका मतलब है कि वह सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं ।

श्री शिव चरण सिंह : "रोकने मैंने नहीं कहा मैंने प्रोसीडिंगज को डिले करने की बात कही है । अगर आप समय पर सूचना दे देंगे तो सुनवाई होगी । अगर समय पर सूचना नहीं देंगे तो सुनवाई नहीं होगी ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : शिव चरण सिंह जी यह तरीका नहीं है ।

श्री सीताराम केसरी : सुप्रीम कोर्ट के इंटेंशन पर किसी तरह की चर्चा मैं समझता हूँ उचित नहीं है । अब प्रश्नों का मैंने, जहां तक मैं समझता हूं उत्तर दे दिया है ।

श्री संघ प्रिय गौतम : : एक बात आप बता दीजिए । . . . (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच. हनुमनतप्पा) : नहीं ।

श्री संघ प्रिय गौतम : राजनीतिकर्ष दलों के साथ आप कब तक विचार-विमर्श करेंगे ;?

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच हनुमनतप्पा) : जवाब आ गया । आपने नहीं सुना ।

श्री सीताराम केसरी : आपका उत्तर दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद । . . . (**व्यवधान**)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : इसका स्पष्टीकरण मैं दूंगा कि अभी पाच साल तक करते रहेंगे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTAHAPPA): The Hous stand adjourned till 11 a.m. t morrow—

The House then adjourn at forty-eight minutes pa six of the clock till elev of the block on Tuesday, t the 11th August, 1992.